

न्यायालय सिविल जज(सी.डी.)जौनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या— 221 / 2022

<u>मंगरी</u>	<u>बनाम</u>	<u>वसीम अहमद व अन्य।</u>
--------------	-------------	--------------------------

28.02.2024

पेश हुआ। पुकार पर प्रार्थिनी अनुपस्थित। विपक्षीगण पर अभी तामीला पर्याप्त नहीं हुआ है। पत्रावली लंच उपरान्त पुनः पेश हो।

सिविल जज(सी.डी.)जौनपुर।

पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी प्रार्थिनी उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी विगत कई तिथियों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रही है और न ही उसकी ओर से पैरवी की जा रही है। आज दिनांक 28.02.2024 को समय 04.30 पी.एम. तक प्रार्थिनी की ओर से न तो वांछित पैरवी की गयी और न ही उपस्थित हुई। उपरोक्त परिस्थितियों में पैरवी के अभाव एवं प्रार्थिनी की अनुपस्थिति में प्रार्थिनी का वाद निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत वाद निष्कर्षानुसार पैरवी के अभाव एवं प्रार्थिनी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज(सी.डी.)जौनपुर।